न्यायालय जिला न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी :–सतेन्द्र कुमार , उच्चतर न्यायिक सेवा

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–285 सन 2025

UPSP010148262025

1. मोनू पुत्र स्व0 श्री लील्ला
2. श्रीमति मिथलेश पत्नि स्व0 श्री लील्ला
   निवासीगण ग्राम जन्धेड़ा परगना गंगोह तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर।
3. श्रीमति सोनिया पुत्री स्व0 लील्ला पत्नि सोनू निवासी ग्राम बुरज चन्दराऊ तहसील इन्द्री जिला करनाल (हरियाणा)
4. श्रीमति राणो पुत्री स्व0 लील्ला पत्नि अरविन्द निवासी मौहल्ला मधुबन विहार प्रीतम डिपो वाली गली, सिग्रेट फैक्ट्री के पास, सहारनपुर।
5. श्रीमति निर्माला विधवा स्व0 श्री राजसिंह
6. आशु पुत्र स्व0 राजसिंह
7. मोहित आयु लगभग 17 साल 7 माह पुत्र स्व0 राजसिंह
8. नीशू पुत्री स्व0 राजसिंह
9. कविता आयु लगभग 16 साल 5 माह पुत्री स्व0 राजसिंह
   नाबालिगान द्वारा उनकी माता हकीकी व वलिया कुदरती व वाद मित्र श्रीमति निर्मला पत्नि श्री राजसिंह उपरोक्त। निवासीगण ग्राम जन्धेड़ा परगना गंगोह तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण।

बनाम

1. गीताराम पुत्र श्री चोहल "मृतक दौरान मूलवाद"

1/1. श्रीमति बुगली देवी विधवा स्व0 श्री गीताराम

1/2. सतेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री गीताराम

1/3. जनेश्वर पुत्र स्व0 श्री गीताराम

1/4. संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री गीताराम

1/5. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री गीताराम

निवासीगण ग्राम जन्धेड़ा परगना गंगोह तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर।

.....विपक्षीगण/वादीगण।

2. चरणसिंह पुत्र जुम्मा निवासी ग्राम खोडसमा परगना व तसील कैराना जिला मुजफ्फरनगर, हाल जिला शामली।

.....विपक्षी/प्रतिवादी सं0–1

3. इन्दल पुत्र बहादर निवासी ग्राम जन्धेड़ा परगना गंगोह तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर।

.....विपक्षी/प्रतिवादी सं0–3

<u>निस्तारण स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र</u>

<u>27.08.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना

गया। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

आवेदकगण की ओर से स्थानान्तरण **प्रार्थनापत्र कागज सं0–4ग** अन्तर्गत धारा 24 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मूलवाद संख्या–38/2000 गीताराम आदि बनाम चरण सिंह आदि न्यायालय तृतीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सहारनपुर में विचाराधीन है। उक्त मूलवाद में पारित आदेश दिनांकित 23.09.2024 के विरूद्ध निगरानी संख्या–142/2024 श्रीमति मिथलेश आदि बनाम गीताराम आदि प्रस्तुत की गयी। निगरानी संख्या–142/2024 न्यायालय अपर जिला जज, कक्ष संख्या–4 को सुनवाई हेतु अन्तरित कर दी गयी तथा उक्त मूलवाद की पत्रावली उक्त निगरानी में तलब होकर आ गयी। निगरानी के विचारण काल में न्यायालय अपर जिला जज, कक्ष संख्या–4, सहारनपुर द्वारा मूलवाद की पत्रावली किस तिथि को वापस विचारण न्यायालय तृतीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सहारनपुर को प्रेषित की गयी इसकी कोई जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हो सकी। न्यायालय अपर जिला जज, कक्ष संख्या–4, सहारनपुर द्वारा निगरानी संख्या–142/20224 आदेश दिनांकित 14.10.2025 के द्वारा निरस्त कर दी गयी तथा पक्षकारगण को दिनांक 04.11.2025 को विचारण न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। निगरानी निरस्त होने के पश्चात प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त मूलवाद में प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु मूलवाद की पत्रावली का निरीक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि उक्त मूलवाद की पत्रावली निगरानी न्यायालय से निगरानी में पारित निर्णय से पूर्व ही न्यायालय तृतीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सहारनपुर में आ गयी, जिसकी कोई जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हो सकी और उक्त मूलवाद दिनांक 14.10.2025 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्शाते हुए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की जानकारी होने पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने आदेश दिनांकित 14.10.2025 को रिकाल कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र कागज संख्या–155ग–2 मय शपथपत्र एवं अपना साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या–158ए.–2 एवं दस्तावेजी साक्ष्य सूची पत्र कागज संख्या–159सी. के साथ प्रस्तुत किया और गवाहान सूची कागज संख्या 157सी0 भी दिनांक 30.10.2025 को प्रस्तुत किया, परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण को सुने बिना उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया और बहस हेतु दिनांक 04.11.2025 नियत कर दी। तत्पश्चात प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 04.11.2025 से पहले प्रार्थनापत्र कागज संख्या–167ग इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या–2/3 एवं 2/5 नाबालिग हैं, जिनको वादीगण ने बालिग दर्शाकर वाद में पक्षकार वाद बनाया है और नाबालिगान का कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया हे, वादीगण द्वारा आदेश–32 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों का कोई पालन नहीं किया गया है, इसलिए वादीगण का वाद आदेश–32 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान का अनुपालन न करने के कारण निरस्त करने हेतु प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर वादीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता को नहीं सुना। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मुलतवी प्रार्थनापत्र दिनांक 04.11.2025 को प्रस्तुत किया लेकिन विचारण न्यायालय ने उपरोक्त प्रार्थनापत्रों पर एक ही आदेश पारित करते हुए मुलतवी प्रार्थनापत्र एवं आदेश–32 सिविल प्रक्रिया संहिता से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया तथा वादीगण के वाद को निरस्त करने के सम्बन्ध में यह अभिकथित किया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित उक्त तथ्यों पर अन्तिम निर्णय पारित करते समय देखा जायेगा। जबकि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र, वादीगण द्वारा आदेश–32 सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन न किये जाने के कारण स्वीकार होने योग्य था तथा वादीगण का वाद इसी आधार पर निरस्त होने योग्य था। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र कागज संख्या–171 क अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता मय शपथपत्र को भी विचारण न्यायालय ने बिना प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुने बिना निरस्त कर दिया तथा विचारण न्यायालय ने उपरोक्त मूलवाद में प्रतिवादीगण को बिना सुने ही वाद को दिनांक 21.11.2025 को निर्णय के लिए नियत कर दिया। विचारण न्यायालय के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को उक्त न्यायालय से न्याय नहीं मिल पायेगा तथा विपक्षीगण 1/1 ता 1/5 भी यह जाहिर कर रहे है कि उक्त न्यायालय से फैसला उनके पक्ष में ही होगा। विचारण न्यायालय के पीठासीन

अधिकारी प्रार्थीगण की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और बिना सुने ही आदेश पारित कर रहे हैं। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र कागज संख्या–155ग–2, प्रार्थनापत्र कागज संख्या–167ग, प्रार्थनापत्र कागज संख्या–166ग व प्रार्थनापत्र कागज संख्या–171क, बिना प्रतिवादीगण को सुने व उनको उस पर अपना पक्ष रखे बिना एकपक्षीय रूप से निरस्त कर दिये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण न्यायालय तृतीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सहारनपुर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र के माध्यम से आवेदकगण द्वारा मूलवाद सं0 38/2000, गीताराम आदि बनाम चरण सिंह आदि की पत्रावली को न्यायालय तृतीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सहारनपुर से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अंतरित करने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये तथा सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से आख्या तलब की गयी।

न्यायालय तृतीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सहारनपुर के पीठासीन अधिकारी की आख्या कागज सं0–**11ग** के अनुसार मूलवाद संख्या–**38/2000** गीताराम बनाम चरण सिंह आदि की पत्रावली वर्तमान में उनके न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि एक्शन प्लान की सूची में शामिल है। उक्त वर्णित मूल वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदकगण द्वारा मुख्य रूप से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र, न्यायालय तृतीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सहारनपुर में विचाराधीन मूलवाद संख्या–38/2000 गीताराम आदि बनाम चरण सिंह आदि में आवेदकगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र–155ग, प्रार्थनापत्र–167ग, प्रार्थनापत्र–166ग व प्रार्थनापत्र–171क पर आवेदकगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना उपरोक्त प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने, पीठासीन अधिकारी का व्यवहार आवेदकगण के प्रति पक्षपातपूर्ण होने तथा आवेदकगण /प्रतिवादीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद ना होने के आधार पर, मूलवाद संख्या–38/2000 को उक्त न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने की याचना की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र के उपरोक्त कथनो का खण्डन करते हुए, **मूलवाद संख्या–38/2000 की पत्रावली सुनवाई हेतु नियत होने एवं वाद एक्शन प्लान की सूची में शामिल होने का कथन किया है।** इस प्रकार सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की आख्या के अनुसार मूलवाद संख्या–38/2000 की पत्रावली सुनवाई हेतु नियत है। पत्रावली से सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी पर जो आक्षेप आवेदकगण द्वारा लगाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में कोई भी सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि मामले के निस्तारण को विलम्बित करने के आशय से यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मूल वाद वर्ष 2000 से विचाराधीन है, इसलिए उक्त मामले को अति–शीघ्र निस्तारित किया जाना है।

उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण **मोनू आदि** की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(सतेन्द्र कुमार)

दिनांकः 27.08.2026 **जिला न्यायाधीश,सहारनपुर।**

J.O. CODE- UP 1891